



2026:AHC:54263

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 9815 वर्ष 2026

आशिका यादव और एक अन्य याचिकाकर्ता (ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: दिलीप कुमार, सुधीर कुमार श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं - 81

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ताओं और राज्य-प्रतिपक्षियों के स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमित कुमार पाल को सुना।
2. प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने परमादेश की प्रकृति में एक रिट के लिए प्रार्थना की है जिसमें प्रतिपक्षियों को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करने और सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने का निर्देश दिया गया है।
3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि दोनों याचिकाकर्ता अविवाहित हैं और वे लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। उन्हें अपने जीवन को खतरा है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका दायर की है ताकि पुलिस अधिकारियों को निजी प्रतिपक्षियों से अपने जीवन की रक्षा करने के लिए एक निर्देश जारी किया जा सके।
4. मैंने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता और राज्य-प्रतिपक्षियों के स्थायी अधिवक्ता को सुना है।
5. इस न्यायालय ने रिट-सी संख्या-35171 वर्ष 2025 (आकांक्षा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और तीन अन्य) में 17.12.2025 को निर्णय लिया है, जिसमें उसी विवाद से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निपटा गया है। प्रस्तुत मामले के तथ्य आकांक्षा (उपरोक्त) के तथ्यों के समान हैं। इसलिए प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** निम्नलिखित शर्तों में किया जा रहा है।

6. एक बार जब कोई व्यक्ति, जो एक वयस्क है, ने अपना साथी चुन लिया है, तो यह किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं है, चाहे वह परिवार का सदस्य हो, उनके शांतिपूर्ण अस्तित्व पर आपत्ति करे और बाधा उत्पन्न करे। यह राज्य का अनिवार्य कर्तव्य है, उस पर लगाए गए संवैधानिक दायित्वों के अनुसार, प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना। मानव जीवन के अधिकार को बहुत उच्च स्तर पर माना जाना चाहिए, भले ही कोई नागरिक नाबालिग या बड़ा, विवाहित या अविवाहित हो। केवल तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं ने विवाह नहीं किया है, उन्हें भारत के नागरिक होने के नाते भारत के संविधान में परिकल्पित उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक का मौलिक अधिकार बहुत ऊंचे पायदान पर खड़ा है। पवित्र होने के नाते, संवैधानिक योजना के तहत इसे संरक्षित किया जाना चाहिए, भले ही विवाह संपन्न हो या यहां तक कि पक्षों के बीच किसी भी विवाह की अनुपस्थिति हो।

7. यहां याचिकाकर्ता, जो वयस्क हैं, ने विवाह की पवित्रता के बिना एक साथ रहने का निर्णय लिया है और यह अदालतों का काम नहीं है कि वे उनके फैसले पर उनका न्याय करें। यदि याचिकाकर्ताओं ने यहां कोई अपराध नहीं किया है, तो इस न्यायालय को कोई कारण नहीं दिखता है कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकी प्रार्थना को स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता शांति से एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चूंकि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुनिश्चित किया गया एक मौलिक जीवन है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।



9. यदि याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में कोई गड़बड़ी होती है, तो याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित पुलिस आयुक्त/एस.एस.पी./एस.पी. से संपर्क करेंगे और पुलिस अधिकारी इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि याचिकाकर्ता बड़े हैं और स्वेच्छा से एक साथ रह रहे हैं, याचिकाकर्ताओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे। यदि याचिकाकर्ता शिक्षित हैं और वे अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र और कानून के तहत स्वीकार्य अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया है और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ रह रहे हैं, तो कोई भी पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि किसी भी अपराध के संबंध में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है। यदि उनके पास उम्र के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है और वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और या अनपढ़/अर्ध-साक्षर हैं, तो पुलिस अधिकारी ऐसे लड़के या लड़की को उनकी सही उम्र को सत्यापित करने के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट करा सकता है और वह कानून के तहत अनुमत अन्य प्रक्रिया का भी पालन कर सकता है।

10. तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

मार्च 17, 2026

नितेंद्र

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)